

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक : 1128 / वाद सं० सी-0402/एस-11/2025

दिनांक: 17/7/2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्रीमती संगीता गोयल/श्री प्रवीन कुमार गर्ग, व्योमप्रस्थ कालोनी, जी०एम०एस० रोड, देहरादून द्वारा स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओं एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0402/एस-11/2025 योजित किया गया। उक्त अनाधिकृत/स्वीकृति से भिन्न निर्माण को दिनांक 04.08.2025 को सील किया गया था। परंतु दिनांक 07.07.2026 को क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया गया की विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा था। उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 04.08.25 को सील किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त वाद में माननीय आयुक्त/अध्यक्ष महोदय न्यायालय में अपील योजित की गई थी जिसमें माननीय आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश गये थे कि विपक्षी के स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किये गये निर्माण को छोड़कर स्वीकृति से भिन्न निर्माण को सील किया जाए, जिसके कम में दिनांक 04.08.25 को स्वीकृति से भिन्न तलों को सील किया गया था। परंतु उसके पश्चात कुछ महीनों बाद विपक्षी द्वारा सील को प्रभावित करते हुए सीलयुक्त तलों एवं सम्मत निर्माण पर कार्य लगातार किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा माननीय आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। अतिथि तक भी विपक्षी द्वारा अपने अनाधिकृत निर्माण/स्वीकृति से भिन्न निर्माण के संबंध में कोई भी शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। एवं स्थल पर निर्माण कार्य निरन्तर किया जा रहा है। उक्त समस्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 18/07/2026 को सीलिंग किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:-1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/विविध-जे०ए०/2024 दिनांक -07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग हेतु नामित किया गया है अतः उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुए पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने का कष्ट करें।
3. थानाध्यक्ष पटेलनगर, को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल) उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत/स्वीकृति से भिन्न निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को दो वाहन एवं सीलिंग से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. विपक्षी श्रीमती संगीता गोयल/श्री प्रवीन कुमार गर्ग, व्योमप्रस्थ कालोनी, जी०एम०एस० रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्थल से अपना समस्त सामान हटा ले एवं उक्त तिथि को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें। शेष नियम व शर्तें पूर्व आदेश पत्रांक 1816 दिनांक 31.07.2025 के अनुसार मान्य होंगी।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।